

न्यायालय:- सिविल न्यायधीश एवं न्यायिक मजि० कनवास जिला
कोटा

कार्यालय आदेश

क्रमांक:- 164-168

दिनांक:- 15.04.2020

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के परिपत्र क्रमांक 8/पी.आई./2020 दिनांक 17.03.2020 के अनुकरण में कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी के सक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए परिपत्र के अनुकरण में इस न्यायालय में अत्यावश्यक प्रकरण (यता जमानत प्रार्थना पत्र, रिमाण्ड, अंतरिम निषेज्ञा सुपुर्दगी इत्यादि) की सुनवाई की जायेगी। साथ ही अधिवक्तागण से अनुरोध है कि अपने पक्षकारों को अत्यावश्यक व अपरिहार्य न्यायालय में उपस्थिति हेतु निर्देशित करे। साथ ही जेल कारापाल कोटा व उप कारापाल सांगोद को भी सूचना भिजवाई जावे कि मुल्जमान की उपस्थिति न्यायालय में वी०सी० से ही करवाई जावे। न्यायालय में नियत समस्त पत्रावलीयों की आगामी पेशियों निम्न प्रकार से नियत की जाती है।

क्रमांक संख्या	पेशी दिनांक	आगामी पेशी दिनांक
01	16.04.2020	12.05.2020
02	17.04.2020	13.05.2020
03	18.04.2020	14.05.2020
04	20.04.2020	15.05.2020
05	21.04.2020	16.05.2020
06	22.04.2020	18.05.2020
07	23.04.2020	19.05.2020
08	24.04.2020	20.05.2020
09	27.04.2020	21.05.2020
10	28.04.2020	22.05.2020
11	29.04.2020	26.05.2020
12	30.04.2020	27.05.2020

नोट:- जेसी की पत्रावलीयों उक्त दिनांक में सम्मलित नहीं है।
उनके लिए पृथक से पेशी दी जायेगी।

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषितः—

1. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, कोटा ।
2. अध्यक्ष, अभिभाषक परिषद, कनवास ।
3. उपकारापाल, सांगोदं
4. जेल अधिक्षक, कोटा ।

सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक
मजि०, कनवास ।